

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री रतन लाल रेगर, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 41/2010 राजस्व वाद

उनवान

1. श्रीमति पदमकंवर पुत्री अक्षयसिंह राजपूत उम्र वयस्क निवासी ऐराडीखेडा, तहसील बनेडा हाल निवासी बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा

— (वादीया)

बनाम

- 1 श्री रामलाल पिता श्रीराम रेगर निवासी ऐराडीखेडा, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
- 2 श्री हजारी पिता श्रीराम रेगर निवासी ऐराडीखेडा, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
- 3 श्री परसराम पिता श्रीराम रेगर निवासी ऐराडीखेडा, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
- 4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) 183, 188 आर0टी0ए0
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं 151 जा.दी.



उपस्थित -

1. श्री अरुण चन्द्र देराश्री (अधिवक्ता वादीया)
2. श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रतिवादीगण)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा विपक्षीसंख्या 03 की और दिनांक- 29.08.2017 से प्रस्तुत एक प्रार्थनापत्र दिनांक 18.06.2010 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का वादपत्र प्रारंभिक आपत्तियों के आधार पर मेन्टेनेबल न होकर काबिले खारिजी के है। वादीया द्वारा यह वादपत्र ईन्द्राज दुरुस्ती विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया है रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.12.1964 से प्रतिवादीगण के पिता श्रीराम पिता मोडा रेगर के नाम उक्त विवादित भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है। राजस्व अभिलेखों में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिवादीगण के पिता श्रीराम पिता मोडा रेगर के नाम पर दर्ज हुआ है, जो कि सही एवं न्यायोचित एवं कानूनन दृष्टी से सही है। इस प्रकार अंकन दुरुस्तीकरण कराने के लिए विक्रय पत्र निरस्त अथवा शून्य घोषित किया जाना आवश्यक है, जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को नही होकर सिविल न्यायालय को है, ऐसी स्थिती में वादपत्र काबिले खारिजी योग्य है।

इस प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी में इंगित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुती बाबत अंतिम अवसर प्रदत्त किया जावें। बहस के दौरान वादीया अधिवक्ता ने अपने तर्कों से अवगत कराया कि वादीया द्वारा अपना वादपत्र बाबत घोषणा ईन्द्राज दुरुस्ती एवं कब्जा बाबत प्रस्तुत किया गया है, जिसका श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को होकर वादपत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष ही राजस्व रेकार्ड में दुरुस्ती बाबत प्रस्तुत कराया गया है।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

तथाकथित विक्रय पत्र जो आरंभ से ही वादीया के मुकाबले शून्य एवं फर्जी है, जिसे कत्तई निरस्त कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों कि वादीया ने तथाकथित रजिस्ट्री जो आरंभ से ही शून्य होकर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। उक्त रजिस्ट्री किसी फर्जी व्यक्ति को पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया है, अर्थात् तथाकथित पंजीयन दस्तावेज आरंभ से ही शून्य होकर मुझ वादीया के मुकाबले शून्यकृत दस्तावेज है जो किसी सिविल न्यायालय में चेलेंज योग्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी खारिज किया जाना फरमावे।

उभयपक्षों ने बहस में अपने अपने अभिवचनों को दोहराते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को स्वीकार करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी व जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व मनन किया तथा वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत बहस पर गौर किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बहस में समायत तर्कों व साक्ष्य के तौर पर सलंगन दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.12.1964 से प्रतिवादीगण के पिता श्रीराम पिता मोडा रेगर के नाम उक्त विवादित भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है। राजस्व अभिलेखों में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 02.12.1964 के आधार पर प्रतिवादीगण के पिता श्रीराम पिता मोडा रेगर के नाम पर खुला है, जो कि सही एवं न्यायोचित एवं कानूनन दृष्टी से सही है। जिसकी पुष्टी प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय विलेख 02.12.21964 से होती है। वादीया द्वारा अपने वाद पत्र में चाही गई अंकन दुरुस्तीकरण आशय अनुतोष हेतु विक्रय पत्र निरस्तकरण अथवा शून्य घोषित किया जाना आवश्यक है, जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को होने से वादीया का वाद पत्र पोषणिय नहीं होकर खारिज योग्य है। इसके विपरीत इन तथ्यों पर वादीया अधिवक्ता के द्वारा दौराने बहस प्रतिरोध में अपने तर्कों से कोई ठोस खण्डन के रूप में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपने जवाब प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं कराया है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता हो कि वास्तव में वादपत्र पोषणीय होकर चलने योग्य है।

आदेश

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 41/2010 मेंटेनेबल नहीं होने से खारीज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। पक्षकार खर्चा अपना अपना स्वयं वहन करें। निर्णय आज दिनांक 29.08.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रतन लाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, भिलवाड़ा
जिला भिलवाड़ा (राज.)